फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द

सरकार जरिये तहसीलदार, राजसमंद

– प्रार्थी

बनाम

मोतीबाई बेवा मैरुसिंह चन्दाणा सा0 टांका की भागल म0 भूडान तहसील व जिला राजसमंद
वारिस– श्री धनसिंह पिता जयसिंह चदाणा निवासी अमरतिया तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमंद

– अप्रार्थीया

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र रेफरेन्स धारा 82 पत्रावली संख्या
23/2012

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 12.04.2018 पत्रावली प्रस्तुत हुई। राजकीय अधिवक्ता पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, राजसमंद द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीया के इस न्यायालय में दिनांक 12.09.2012 को पेश कर यह अनुरोध किया गया कि ग्राम भूडान तहसील राजसमंद में स्थित खसरा नं0 94 रकबा 0.08 बीघा किस्म बारानी I भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीया मोतीबाई बेवा मैरुसिंह चन्दाणा सा0 टांका की भागल म0 भूडान तहसील व जिला राजसमंद के खाते अंकित है। भू–प्रबन्ध विभाग के खसरा पत्रक संवत 2023 के अनुसार अप्रार्थीया के खाते अंकित उक्त भूमि के गत भू–माप के खसरा नं. क्रमशः 74/1 किस्म नाला है। उक्त खसरा नं. 74/1 का मेवाड़ सेटलमेंट की नकल जमाबंदी सम्वत् 2010 में मूल खसरा नम्बर 74 रकबा 02.04 बीघा किस्म नाला होकर गेर मुमकीन श्रेणी की भूमियों में अंकित है। इस प्रकार अप्रार्थीया के खाते वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अंकित भूमि मूलतः किस्म नाला की भूमि होने से माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण संख्या 1536/2003 डी0बी0 सिविल रिट पिटीशन में पारित निर्णयानुसार ऐसी किस्म नाला अंकित भूमि होने से इस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन अथवा खातेदारी/गैर खातेदारी अधिकार के लिये प्रतिबंधित होने से पुनः राजस्व अभिलेख में बिलानाम नाला दर्ज करवाये जाने का आदेश प्रदान करावें। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 02.08.2004 की पालना में राजस्व स्वामित्व के नदी, नालों, तालाबों, झीलो आदि की दिनांकः 15.08.1947 की स्थिति को बहाल की जानी हैं। प्रकरण में अप्रार्थीया मोतीबाई की मृत्यु होने पर उसके वारिसान के सम्बंध में तहसीलदार,राजसमंद से रिपोर्ट चाही गयी जिस पर जरिये पत्र क्रमांकः 189 दिनांकः 16.07.2013 से प्रेषित रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित किया कि इनके कोई सन्तान नहीं थी। मोतीबाई ने अपने भाई के लड़के जयसिंह निवासी मियारी (राजसमंद) को गोद रखा जिसकी मृत्यु हो चुकी हैं। वर्तमान में टांको की भागल (भूडान) में मोतीबाई का कोई भी वारिस नहीं रहता हैं। जयसिंह का एक पुत्र जो गांव अमरतिया (गौमती) निवास करना ग्राम टांको की भागल के निवासियों द्वारा बताया गया हैं जिसका नाम धनसिंह पिता जयसिंह राजपूत निवासी अमरतिया गौमती(कुम्भलगढ़) बताया। तहसीलदार,राजसमंद द्वारा की गयी उक्त रिपोर्ट के आधार पर उक्त श्री धनसिंह को बताये गये पते पर नोटिस जारी किये गये किन्तु तहसीलदार,राजसमंद के द्वारा श्री धनसिंह की आदिनांक तक तामिल नहीं करवायी गयी। दिनांकः 20.02.2018 को श्री धनसिंह को पेशी दिनांकः 14.03.2018 को जारी नोटिस तहसीलदार,कुम्भलगढ़ को वास्ते तामिल हेतु भेजा गया जो तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार अदम तामिल इस आशय के लौटा हैं कि इस नाम का व्यक्ति अमरतियां में कोई भी व्यक्ति नहीं हैं।	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय हैं कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 1536/2003 डी0बी0 सिविल रिट पिटीशन में पारित निर्णय की पालना में अप्रार्थीया के खाते अंकित भूमि मूलतः किस्म नाला भूमि होने से उसे अप्रार्थीया के खाते से हटाकर पुनः राजस्व अभिलेख में सरकारी खाते में किस्म नाला बिलानाम गैर मुमकीन श्रेणी की भूमि में दर्ज कराने हेतु यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। तहसीलदार,राजसमंद का यह दायित्व हैं कि उसके द्वारा पेश किये गये रेफरेंस प्रा0पत्र में इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की अप्रार्थी पर प्रोपर तामिल करवायी जावें। अप्रार्थीया की मृत्यु हो जाने पर स्वयं तहसीलदार,राजसमंद के द्वारा ही अप्रार्थीया के वारिस की सूची पेश की गयी और उसके अनुसार ही अप्रार्थीया के वारिस को दर्शाये गये पते पर नोटिस जारी किया गया जो इस नामके व्यक्ति का ग्राम अमरतिया में निवास नहीं करने के नोट के साथ अदम तामिल लौटाया गया और परिणाम स्वरुप अप्रार्थीया के वारिस की कोई तामिल नहीं करवायी गयी जो स्वयं तहसीलदार के दायित्वाधीन होता हैं। इस प्रकार प्रकरण में प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित हैं कि अप्रार्थीया के वारिस को कोई नोटिस तामिल नहीं करवाया गया और न ही उसके निवास आदि का कोई सही अता पता ही हैं। कानूनन प्राकृतिक न्याय सिद्धांत (Natural Justice) के अनुसार भी किसी भी व्यक्ति विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही में उसे सुनवाई हेतु समुचित अवसर दिया जाकर विधिसम्मत तरीके से प्रकरण का निस्तारण करना होता हैं।

ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया यह प्रकट हैं कि प्रार्थी तहसीलदार,राजसमंद के द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीया के वारिस को कोई नोटिस की तामिल ही नहीं करवायी और यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि उसकी वास्तविक सकूनत क्या हैं। इस प्रकार जब तक कानूनन अप्रार्थीया के वारिस का सही पता नहीं चल पाता तब तक वारिस की अस्पष्ट स्थिति के परिप्रेक्ष्य में उक्त अपूर्ण प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता हैं। उपरोक्त वर्णित विवेचनानुसार अप्रार्थीया के वारिस की वास्तविक एवं सही निवास की जांच की जाकर पूर्ण एवं स्पष्ट पतायुक्त स्थिति को वर्णित कर पुनः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाया जाना उचित समझते है।

तहसीलदार, राजसमंद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेफरेन्स को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है । प्रकरण तहसीलदार, राजसमंद को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मामले में अप्रार्थीया के वारिस की वास्तविक एवं सही निवास की जांच की जाकर पूर्ण एवं स्पष्ट पतायुक्त स्थिति को वर्णित कर पुनः नये सिरे से प्रार्थना पत्र रेफरेन्स तैयार कर विधि अनुसार प्रस्तुत किया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

(पी0सी0 बेरवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)